भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
21.09.2020 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1737 का उत्तर

कार्यों के निष्पादन में विलंब

1737. श्री हिबी ईडनः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दक्षिण रेलवे में कार्यों के निष्पादन में होने वाले अनावश्यक विलंब की जांच और निगरानी हेतु कोई निवारण तंत्र विद्‌यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) निजी और एम्बुलेंस जैसे आपात वाहनों की निर्बाध आवाजाही के लिए एडापल्ली में रेलवे अंडरपास के निर्माण की परियोजना को पूरा करने हेतु अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या प्रस्तावित परियोजना में हुए विलंब के पीछे किसी तर्कसंगत कारण का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो परियोजना के पूरा होने की संभावित तिथि के साथ उक्त कार्य के शीघ्र निष्पादन हेतु अड़चनों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्‌योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

कार्यों के निष्पादन में विलंब के संबंध में 21.09.2020 को लोक सभा में श्री हिबी ईडन के अतारांकित प्रश्न सं. 1737 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): जी हां, दक्षिण रेलवे सहित भारतीय रेल में फील्ड इकाइयों, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), क्षेत्रीय रेलों, रेल मंत्रालय आदि से शुरू होकर विभिन्न स्तरों पर रेल परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र है। इसके अलावा, समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए परियोजनाओं की स्थिति, बाधाएं और पूरा करने की समयसीमा की उच्चतम स्तर तक निगरानी की जाती है। राष्ट्र के समग्र हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लागत में वृद्धि के बिना परियोजना को समय पर पूरा किया जाए, परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डालने वाले लंबित मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरणों और वन-विभाग के प्राधिकारियों आदि के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं।

(ग) से (ङ): एर्णाकुलम-शोण्णानूर खंड पर किमी 97/800-900 पर एडापल्ली यार्ड पर अंडरपास का निर्माण कार्य सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) योजना के अंतर्गत निक्षेप शर्तों पर स्वीकृत किया गया है। सामान्य आरेख व्यवस्था (जीएडी) और विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है। रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति 03.03.2020 को प्राप्त कर ली गई है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन और मानसून सीज़न के कारण कार्य को शुरू नहीं किया जा सका। कार्य मानसून सीज़न के समाप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा।

****